न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—315/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00315)

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दराम मीणा, जाति मीणा, निवासी परासिया तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सुवालाल पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी परासिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
   1/1 मु. गणपति देवी पत्नि सुवा लाल
   1/2 कालू
   1/3 ज्ञानचंद
   1/4 विष्णु
   1/5 सुनील पुत्रान सुवालाल समस्त मीणा निवासी परासिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.9.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, राजस्व वाद संख्या 89/2017

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवडा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—16.9.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 18.9.2018 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम परासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित

आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 14 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल, रामकरण, कल्याण, लक्ष्मीनारायण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजीयात पहले कृषि भूमि थी, लेकिन बाद में उसमें स्थित कुआं सुख जाने से व भूमि अकृषि होकर अनुपजाऊ हो गई तथा उक्त आराजीयात में स्थित कुएं को खातेदारों द्वारा मिट्टी आदि डालकर बंद कर दिया गया और भूमि को समतल कर दिया गया तथा खातेदारों ने करीब दो वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उपरोक्त आराजीयात का बंटवारा कर उसमें कुल चार प्लाट बनाए गए, जो प्रत्येक प्लाट 275 वर्ग का है, जिसका नक्शा अनुसार काबिज हो गए तथा दो खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से के कृषि आराजीयात प्लाटों को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि का विक्रय नहीं किया गया। वादी/अपीलांट के हिस्से में जो आराजी/प्लाट आया उसका सीमा विवरण वाद पत्र में अंकित करते हुए उसी अनुसार कब्जा होने बाबत कथन किया गया। साथ ही यह भी वर्णित किया गया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के हिस्से की भूमि वादी/अपीलांट की भूमि के पश्चिम में चिपती हुई है जिसका प्रतिवादी/रेस्पोडेंट उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने वादी/अपीलांट की सादगी का फायदा उठाते हुए उसके हिस्से की आराजीयात पर कब्जा करने के उद्देश्य से पत्थर आदि डलवा दिए व रोकने पर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। वादी द्वारा नाप चौप कराने बाबत कथन करने पर उसके द्वारा इंकार कर दिया गया तथा वादी/अपीलांट की आराजीयात पर जबरन निर्माण कार्य कराने पर आमादा होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त समस्त आधारों पर वाद वादी/अपीलांट स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को वादी के हिस्से की आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई कब्जा/निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किए जाने का निवेदन किया। यह कि परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. पर पक्षकारान की बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 18.9.2018 द्वारा सरसरी तौर पर ही प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी/अपीलांट खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय/डिक्री दिनांक 18.09.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी नजरन्दाज कर दिया कि वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में यह स्पष्टतया कथन किया गया था कि प्रश्नगत आराजीयात में एक कुआं स्थित था, जो सुख चुका था। जिसके कारण भूमि अनुपयोगी हो गई। जिसे खातेदारान द्वारा आपसी सहमति अनुसार मिट्टी इत्यादि डालकर बन्द कर दिया गया व भूमि को समतल कर आपसी विभाजन अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज किया गया। उक्त तथ्य को प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा भी अपने जवाबदावे में पूर्णतया स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकारोक्ति कथन से परे जाकर न्यायालय के समक्ष धारा 151 जा.दी के माध्यम से कोई नया उज्र रखने की प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को कोई अधिकारिता नहीं थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु तथा विबन्धन के सिद्धांत को पूर्णतया दरकिनार कर सरसरी तौर पर ही जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरन्दाज कर दिया कि न्यायालय को प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज करने की क्षेत्राधिकार आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किशनगढ़ (अजमेर)

7 नियम 11 जा.दी के प्रावधानों के तहत ही प्राप्त है। उक्त प्रावधान में वर्णित स्थिति होने पर ही न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष ना तो आदेश 7 नियम 11 जा.दी के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ एवं ना ही ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया गया जिससे कि दावा बार्ड बाय लॉ की श्रेणी में आता हो। परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को पूर्णतया ही दरकिनार कर सरसरी तौर पर ही जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। यह कि परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरन्दाज कर दिया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में मात्र उन्हीं व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है, जिनके विरूद्ध सहायता चाही जानी है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद में भूमि को समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाने की कतई कोई बाध्यता नहीं है एवं ना ही पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रशनगत भूमि के समस्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.9..2018 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियो व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी लक्ष्मीनारायण वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र को बाद जॉच रिपोर्ट होकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.10.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया था। दिनांक 05.07.2018 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया गया जिसका जवाब वादी की ओर से दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.09.2018 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. पर बहस सुनी गई व प्रतिवादी वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत करने के पश्चात पत्रावली दिनांक 18.09.2018 को वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली नियत की गई। दिनांक 18.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद वादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन चाह होने से वाद खारिज कर दिया गया। मान्नीय मण्डल ने अपने परिपत्र एवं अनेको निर्णय में प्रतिपादित किया है कि जहॉ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया वहॉ तनकीयात कायम की जायेगी, परन्तु उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में यह कथन करते हुए की वादी का वाद व प्रतिवादी का प्रतिवाद में वादग्रस्त भूमि में गैर–मुमकिन चाह होने से खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.09.2018 उपरोक्त कारणों से निरस्त योग्य पाया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात

कायम कर सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर